फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

गोपाल सिंह बनाम सुमन देवी वगै0 GCMS-2025/40

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नम्बर :– 03 / 2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	02.01.2025	प्रार्थी की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 10.01.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	10/1/25	वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार / कण्डोलेन्स / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली मय आज्ञानुसार दिनांक 20/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	20/1/25	व. प्रार्थी उप0। पत्रावली बदस्तूर तलबी में रहकर आगामी दिनांक 14/2/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	
	14/2/25	पीठासीन अधिकारी ... / अवकाश पर है। अतः आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 20/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	20/3/25	व. प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण को तलबी जारी Regd. से करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 07/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	
	07/4/25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय का समय समाप्त होने तक वकील प्रार्थी को बार बार आवाज दिलाई गयी। वकील प्रार्थी अदालतन व वकालतन अनुपस्थित है। अतः पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	